

अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 93 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	11687,51,00		
		12787,51,00	7716,71,50	-5070,79,50
पूरक	Supplementary	1100,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5077,84,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	235,00,00		
		243,17,00	53,17,00	-190,00,00
पूरक	Supplementary	8,17,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			190,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹507079.50 लाख) दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹110000.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई राशि (₹507784.00 लाख) भी समग्र बचतों से अधिक थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹507079.50 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹110000.00 lakhs obtained in December, 2022 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹507784.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	6596.00		
			6016.75	
पु.	R.	-579.25		
			6016.70	-0.05
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	109142.00		
पू.	S.	95000.00	79052.98	
पु.	R.	-125089.02		
			79767.73	+714.75
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	35775.00		
पू.	S.	15000.00	31787.70	
पु.	R.	-18987.30		
			31777.52	-10.18
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	40423.00		
पु.	R.	-40423.00
		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	971961.00	653367.87	653367.85	-0.02
पु.	R.	-318593.13			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	4850.00	740.50	740.50	..
पु.	R.	-4109.50			

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत ₹48023.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹46218.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :-

(I) Provision of ₹48023.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹46218.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" -

(A) Major Head "2225" -

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएस) योजना" - ₹4900.00 लाख - स्थायी वित्त समिति द्वारा इस योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण।

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Vanchit Ikai Samooch Aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana" - ₹4900.00 lakhs - due to non-approval of proposal for continuation of the scheme by Standing Finance Committee.

(ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - आर्थिक विकास - वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएस) योजना" - ₹2700.00 लाख -

(b) "Welfare of Backward Classes - Economic Development - Vanchit Ikai Samooch Aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS)

योजना जारी नहीं रहने के कारण।

Yojana” - ₹2700.00 lakhs - due to non-continuation of scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(B) Major Head “2552” -

(क) “सामाजिक कल्याण – निषेध – नशीली दवाओं की मांग कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना” – ₹2000.00 लाख; और

(a) “Social Welfare-Prohibition-National Action Plan for Drug Demand Reduction” - ₹2000.00 lakhs; and

(ख) “सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम – अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)” – ₹1500.00 लाख।

(b) “Social Welfare - Other Programmes - Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)” - ₹1500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from the State Governments of North Eastern Region and Sikkim.

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना” – ₹18508.00 लाख।

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for Development of Scheduled Castes” - ₹18508.00 lakhs;

(घ) “अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा” –

(d) “Welfare of Backward Classes - Education” -

(i) “ओबीसी, ईबीसी और डीएस्टी हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पी एम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएमवाईएसएसएसीआई)” – ₹15810.00 लाख; और

(i) “PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - ₹15810.00 lakhs; and

(ii) “ओबीसी और ईबीसी हेतु यंग अचीवर्स के लिए उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (एसएचआईवाईएस)” – ₹800.00 लाख।

(ii) “Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs” - ₹800.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष “2225” - “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) - पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹95000.00 लाख की निधियां प्रदान की गईं जो वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित बजट के 25% से अधिक जारी करने संबंधी एस एन ए दिशा-निर्देशों के तहत छूट न मिलने के कारण ₹71301.12 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2235” - “सामाजिक कल्याण - वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण - अटल वायू अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)” - ₹11760.00 लाख का मूल अनुदान ₹15000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹26760.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो तथापि कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण ₹7295.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय” के अंतर्गत - ₹579.30 लाख की बचत (₹6596.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम प्रशासनिक व्यय होने और मितव्ययता उपाय करने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2225” - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” -

(क) “मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति” - ₹5754.35 लाख की बचत (₹5760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Castes-Special Component Plan for Scheduled Castes - Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC)” - funds of ₹95000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹71301.12 lakhs - due to non-approval for relaxation under SNA guidelines for release of more than 25% of budget estimates by the Ministry of Finance.

(B) Major Head “2235” - “Social Welfare - Welfare of Aged, Infirm and Destitute - Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)” - the original provision of ₹11760.00 lakhs was augmented to ₹26760.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15000.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹7295.49 lakhs - due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(III) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Social Justice and Empowerment” - saving of ₹579.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6596.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less administrative expenses and austerity measures.

(IV) Under Major Head “2225” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Post Matric Scholarships” - saving of ₹5754.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5760.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories without legislature and less administrative expenses.

- (ख) “सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वयं रोजगार योजना” – ₹5749.85 लाख की बचत (₹6860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।
- (ग) “अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु यंग अचीवर्स योजना (एसएचआरईआईएस)” – ₹5179.64 लाख की बचत (₹35672.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम राशि की मांग होने, एन एस पी पोर्टल के माध्यम से देरी से प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।
- (घ) “प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम एजेवाई)” – ₹12423.62 लाख की बचत (₹12650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकर्ताओं से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।
- (ङ) “अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरएसएचटीए)” – ₹3619.45 लाख की बचत (₹8720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जारी करने की प्रक्रिया का संकल्प देरी से मिलने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।
- (च) “प्रधान मंत्री दक्षता और कौशल्य सम्पन्न हितग्राही (पीएम डीएकेएसएच)” – ₹3030.00 लाख की बचत (₹3920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “पिछड़े वर्गों का कल्याण” –
- (b) “Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers” - saving of ₹5749.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6860.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the applicants and less administrative expenses.
- (c) “Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs” - saving of ₹5179.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35672.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the applicants, less demand by University Grants Commission, late receipt of proposals through NSP Portal and less administrative expenses.
- (d) “Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM AJAY)” - saving of ₹12423.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12650.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies and less administrative expenses.
- (e) “Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs” - saving of ₹3619.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8720.00 lakhs) was due to late resolution of procedure for release of funds to Voluntary Organizations and less administrative expenses.
- (f) “Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana” - saving of ₹3030.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3920.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from applicants.
- (B) “Welfare of Backward Classes” -

(क) “आर्थिक विकास” –

- (i) “प्रधान मंत्री दक्षता और कौशल सम्पन्न हितग्राही (पीएम डीएकेएसएच) योजना” – ₹3355.85 लाख की बचत (₹3960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।
- (ii) “डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (एसईईडी)” – ₹2238.71 लाख की बचत (₹2520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “शिक्षा – ओबीसी, ईबीसी और डीएस्टी हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पी एम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम वाईएएसएएसवीआई)” – ₹1545.61 लाख की बचत (₹3080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में मांग प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(घा) “सामान्य – निर्देशन और प्रशासन” –

- (क) “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग” – ₹809.90 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रस्ताव की तुलना में) हुई;
- (ख) “राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग” – ₹791.85 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ग) “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” – ₹1132.67 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “Economic Development” -

- (i) “Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana” - saving of ₹3355.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3960.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from applicants and less administrative expenses.
- (ii) “Scheme for Economic Empowerment of DNT/NT/SNTs (SEED)” - saving of ₹2238.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2520.00 lakhs); and

(C) “Education - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹1545.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3080.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand and less administrative expenses.

(D) “General - Direction and Administration” -

- (a) “National Commission for Scheduled Castes” - saving of ₹809.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);
- (b) “National Commission for Safai Karamcharis” - saving of ₹791.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs); and
- (c) “National Commission for Backward Classes” - saving of ₹1132.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम प्रशासनिक व्यय होने, और मितव्ययता उपाय करने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “निषेध – नशीली दवाओं की मांग कम करने संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)” – ₹6755.20 लाख की बचत (₹16210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन जी ओ से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(खा) “सुधारात्मक सेवायें” –

(क) “राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान” – ₹610.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (एसएमआईएलई)” – ₹3993.77 लाख की बचत (₹4050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए समग्र योजना” – ₹316124.13 लाख की बचत (₹831221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “केंद्रीय सहायता / हिस्सा” –

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts, less administrative expenses and austerity measures.

(V) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)” - saving of ₹6755.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16210.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from NGOs and less administrative expenses.

(B) “Correctional Services” -

(a) “National Institute of Social Defence” - saving of ₹610.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Institute.

(b) “Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE)” - saving of ₹3993.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4050.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(VI) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - saving of ₹316124.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹831221.00 lakhs); and

(B) “Central Assistance/Share” -

(क) “अन्य कमजोर वर्गों (पिछड़े वर्गों और निरूशक्त जनों सहित) के विकास के लिए एक छत्र योजना” – ₹1845.79 लाख की बचत (₹3030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा एस एन ए के कार्यान्वयन में देरी और राज्यों द्वारा प्रस्ताव/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण हुई।

(ख) “ओबीसी, ईबीसी और डीएस्टी हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पी एम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम वाईएएसएसवीआई)” – ₹623.23 लाख की बचत (₹137710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक छत्र योजना” – ₹2775.34 लाख की बचत (₹2850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – ओबीसी, ईबीसी और डीएस्टी हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पी एम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम वाईएएसएसवीआई)” – ₹1119.78 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों द्वारा एस एन ए के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुई।

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1331.70 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 86 प्रतिशत थीं।

(a) “Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)” - saving of ₹1845.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3030.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of SNA by State Governments and delay in submission of proposals/utilization certificates by States.

(b) “PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹623.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹137710.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(VII) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes” - saving of ₹2775.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2850.00 lakhs); and

(B) “Central Assistance/Share-PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs” - saving of ₹1119.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of SNA by State Governments.

(VIII) Under four heads savings of ₹1331.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 20 percent to 86 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹809.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मांग संख्या “2225” – “पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – पी एम सी ए आर ई एस बच्चों के लिए छात्रवृत्ति” के अंतर्गत ₹95000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹19000.00 लाख) मार्च, 2023 में प्राप्त ₹817.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 78 प्रतिशत थीं।

2. The above savings were partly (₹809.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹95000.00 lakhs under Major Head “2225” - “Welfare of Backward Classes-Education-Scholarship for PM CARES Children”.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹19000.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹817.00 lakhs obtained in March, 2023 and constituted 78 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
------------------------------	--	------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष “4225”	Major Head “4225”
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities
मू.	O. 22960.00
पु.	R. -18460.00

4500.00	4500.00	..
---------	---------	----

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹13040.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹12500.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :-

(I) Provision of ₹13040.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹12500.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(का) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय कमजोर वर्ग

(A) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - National

वित्त विकास निगम” – ₹7500.00 लाख; और

(खा) “सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम” – ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी नहीं बढ़ाये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) “अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए वेंचर पूंजी निधि” के तहत – ₹3360.00 लाख की बचत (₹6860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) “सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उद्यमों में निवेश – अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए वेंचर पूंजी निधि” के तहत – ₹2600.00 लाख (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम निधियों की मांग के कारण हुई।

Finance Development Corporation for Weaker Sections” - ₹7500.00 lakhs; and

(B) “General - Investments in Public Sector and other Undertakings - National Finance Development Corporations for Weaker Sections” - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-enhancement of authorized share capital of the corporation.

(II) Under “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Venture Capital Fund for SCs and OBCs” - saving of ₹3360.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6860.00 lakhs); and

(III) Under “General - Investments in Public Sector and other Undertakings - Venture Capital Fund for SCs and OBCs” - saving of ₹2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand by Industrial Finance Corporation of India.